प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक-24.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गई म0उ0नि0 नैन्शी प्रजापति मय हमराह का0 प्रवीण के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त विपेन्द्र पुत्र झुग्गी बाबा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बरॉय थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 सफेद प्लास्टिक की बोरी में 26 क्वार्टर मस्तीह ब्राण्ड देशी नाजायज शराब बरामद करते हुए ग्राम बरॉय थाना खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम–

1. उ0नि0 नैन्शी प्रजापति
2. का0 प्रवीण कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त–

विपेन्द्र पुत्र झुग्गी बाबा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बरॉय थाना खरेला जनपद महोबा।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 25.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

- **अपर पुलिस अधीक्षक, महोबा की अध्यक्षता में जनपदीय स्तरीय शांति समिति बैठक का किया गया आयोजन।**
- **सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई।**
- **समस्त थाना प्रभारियों को पर्याप्त पुलिस प्रबंध करते हुये आगामी त्यौहार/पर्वों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।**

आज दिनांक 25.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन अवस्थित सभागार में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी त्यौहारों (महाशिवरात्रि, होलिका दहन, माह रमजान व ईद-उल-फितर) को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों से आये हुये धर्मगुरुओं/ गणमान्य/ सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ जनपदीय स्तरीय शांति समिति बैठक कर सभी से आपसी सौहार्द बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई।

मीटिंग में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों से अपील की गयी कि सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखें, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों/असामाजिक तत्वों/किसी भी प्रकार की आपराधिक अवांछित गतिविधियों दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दे, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें बल्कि अफवाह की पुष्टि उच्चाधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाये रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ/गलत/अशोभनीय पोस्ट शेयर न करें, जनपदीय पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है।

गोष्ठी में मौजूद समस्त थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्र में आयोजित होने वाले जुलूस/शिवबारात अदि कार्यक्रमों में पर्याप्त पुलिस प्रबंध करते हुये आगामी त्यौहार/पर्वों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

महाकुम्भ 2025 के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित अभियानों के तहत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में दिनांक-25.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड के द्वारा गठित टीम के उ0नि0 दिनेश सिंह द्वारा बके तलैया के पास 01 नफर अभियुक्त संजय कुमार पुत्र रामदास अनुरागी उम्र 22 वर्ष निवासी मु0 टौरियापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 दिनेश सिंह

2.का0 अजय कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

संजय कुमार पुत्र रामदास अनुरागी उम्र 22 वर्ष निवासी मु0 टौरियापुरा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी विवरण-

- 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने नाबालिग का उत्पीड़न करने वाले एक नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

महाकुम्भ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना चरखारी द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 अजीत तिवारी के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2025 धारा 137(2)/64(2)/351(3) BNS व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5, 3(2)5क थाना चरखारी जनपद महोबा से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दीपू कुशवाहा पुत्र उदयभान कुशवाहा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा को रेलवे फाटक सूपा नरेडी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0विनोद कुमार सिंह
2. हे0का0 अजीत तिवारी

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपू कुशवाहा पुत्र उदयभान कुशवाहा उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 25.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने रंजिशन हमला करने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से हमले में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद। मजरुब का इलाज झांसी में प्रचलित है, हालत स्थिर।

महाकुम्भ- 2025 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 25.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना चरखारी द्वारा गठित की गयी टीम के उ0नि0 रमेश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 संदीप कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 37/2025 धारा 109 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रमोद राजपूत पुत्र रामस्वरूप राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गुढा जनपद महोबा को ग्राम गुढा थाना चरखारी के ठेका देशी शराब के पास से मय हमले में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को पेश करने हेतु माननीय न्यायालय महोबा भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रमेश कुमार यादव
2. हे0का0 संदीप कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त–

प्रमोद राजपूत पुत्र रामस्वरूप राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गुढा थाना चरखारी जनपद महोबा